60

संख्याः 464/XXVII(1)/ 2011

प्रेषक,

आर.सी.अग्रवाल,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत,
(संलग्न विवरणानुसार)
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–1 देहरादूनःःदिनांकः 08 :अगस्त,2011

विषयः– 13वीं वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 की प्रथम किश्त हेतु धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 13वीं वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के कम में समस्त नगर पंचायतों को चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में प्रथम किश्त के रूप में **₹15002000.00 (₹एक करोड़ पचास लाख दो हजार मात्र) की धनराशि** निम्न शर्तों के अधीन संकमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उपर्युक्त धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संकमित की जा रही हैः–

1. संकमित धनराशि का व्यय पेयजल, मल–जल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबन्धन और स्ट्रीट लाइट पर किया जायेगा।
2. स्थानीय निकाय के लेखा परीक्षा तथा लेखा विवरण अद्यतन होनी चाहिये।
3. स्कमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिये बिल सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संकमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिये संकमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/ समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। इस धनराशि को वेतन/ पेंशन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।
4. **अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अधिशासी अधिकारी तथा अध्यक्ष, नगर पंचायत के हस्ताक्षर से दिनांकः 31 जनवरी, 2011 तक प्राप्त हो जाने चाहिये।**
5. नगर विकास विभाग संकमित की जा रही धनराशि का नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेगें तथा इसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होगें। कोषागार से आहरित धनराशि, वाउचर संख्या, दिनांक एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण महालेखाकार, उत्तराखण्ड, प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास तथा वित्त आयोग निदेशालय को प्रेषित करना होगा।
6. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेगें।
7. अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। समय से उपयोगिता प्रमाण–पत्र के विलम्ब के कारण कोई धनराशि लैप्स होती है तो उसके लिये अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगें।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक की अनुदान संख्याः 07 के लेखाशीर्षकः 3604–स्थानीय निकायों तथा पंचायतीराज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–193–नगर पंचायतें/ नोटीफाइड एरिया/ कमेटी आदि–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0103–13वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान–20–सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(आर.सी.अग्रवाल)
सचिव, वित्त।

संख्याः 464 /XXVII(1)/ 2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव,शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त,गढ़वाल मण्डल/कुमॉऊ मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
5. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास, 43/6 माता मन्दिर मार्ग, धर्मपुर,देहरादून।
6. निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़,उत्तराखण्ड–देहरादून।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, वित्त आयोग प्रभाग,ब्लॉक–11, पंचमतल, सी.जी.ओ. काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, मा0 मुंख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
10. वित्त आयोग निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड–देहरादून।

आज्ञा से,

09/9/11
(आर.सी. अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या: 464 /XXVII (1)/2011
दिनांक: 08 :अगस्त,2011 का संलग्नक।

13वॉं वित्त आयोग द्वारा संस्तुत शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2011-12 हेतु देय प्रथम किश्त की धनराशि।

(धनराशि हजार ₹ में)

क0सं0	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष 2011-12 हेतु देय प्रथम किश्त
1	2	3
नगर पंचायत		
1-	बड़कोट	1304
2-	नन्दप्रयाग	178
3-	कर्णप्रयाग	1207
4-	गोचर	1021
5-	मुनिकीरेती	660
6-	कीर्तिनगर	161
7-	चम्बा	427
8-	डोईवाला	377
9-	हरबर्टपुर	902
10-	कालाढूंगी	261
11-	भीमताल	380
12-	लालकुँआ	494
13-	दिनेशपुर	771
14-	सुल्तानपुर	333
15-	केलाखेड़ा	541
16-	,शक्तिगढ़	402
17-	मुहुआ खेड़ा गंज	308
18-	महुआडाबरा	391
19-	द्वाराहाट	647
20-	डीडीहाट	372
21-	धारचूला	1066
22-	चम्पावत	380
23-	लोहाघाट	441
24-	झबरेड़ा	280
25-	लण्डोरा	436
26-	लक्सर	913
27-	देवप्रयाग	349
	योग	**15002**

(₹एक करोड़ पचास लाख दो हजार मात्र)

(आर.सी.अग्रवाल)
अपर सचिव, वित्त।